... दिनांक 4/5/18 को
कोर्ट अदालत के समक्ष उपस्थित रहें।

(हस्ताक्षर)

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज०

2016/00183

4/5/18 पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 212 राज० काश्त० अधिनियम पर बहस सुनी गई। प्रार्थी ग्राम भगवानपुरा पटवार क्षेत्र सथाना की विवादित भूमि खसरा नम्बर 1195 कुल रकबे 05-10 आर पर काफी वर्षों से निरन्तर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है, अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारी हर वर्ष प्रार्थी के विरुद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही कर बेदखल करने की धमकी देते है। जबकि प्रार्थी का कब्जा खसरा परिवर्तनशील संवत 2052 से भी प्रमाणित होता है। तथा प्रार्थी का विवादित भूमि पर शांतिपूर्ण कब्जा चला आ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि विवादित भूमि पर अपना कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आने के कारण प्रार्थी को विवादित भूमि में काश्त करने में किसी प्रकार की रुकावट अथवा बाधा उत्पन्न नही करे बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार ग्राम भगवानपुरा पटवार क्षेत्र सथाना की जमाबन्दी 2072-75 में विवादित भूमि खसरा नम्बर 1195 बेजर भूमि दर्ज होना पाया गया। तथा अन्य दस्तावेज खसरा परिवर्तनशील प्रस्तुत किये गये है उसमें विवादित भूमि का अंकन नही होना पाया गया एवं प्रार्थी द्वारा काश्त किया जाना व कब्जा होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना नही पाया गया इस प्रकार प्रार्थी के हक में कोई प्रथम दृष्टया केस व सहुलियत का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु बनता नही पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 R.T.A अप्रार्थी के विरुद्ध खारिज किया जाता है। मिसल पेशल कुमार होकर नम्बर से कम हो बाद दफ्तर दाखिल हो।

(हस्ताक्षर)

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.04 16:56:43 IST
Reason: SelfAttested